भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :2606

दिनांक 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन और गोपनीयता संबंधी चिंताएं

2606. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान, विकास और परीक्षण उद्देश्यों तथा यातायात प्रबंधन के उद्देश्य से यूएवी और ड्रोन के उपयोग की बात आने पर गोपनीयता के प्रश्न से निपटने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ड्रोन संशोधन नियम, 2022 गोपनीयता के मुद्दे से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने मानवरहित विमान प्रणाली के लिए प्रमाणन, पंजीकरण, रिमोट पायलट लाइसेंस और बीमा प्राप्त करने संबंधी तंत्र के बारे में जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख): ड्रोन नियम 2021 और ड्रोन संशोधन नियम 2022 के अनुसार, अनुसंधान, विकास और परीक्षण उद्देश्यों के लिए प्रचालित किए जा रहे ड्रोन ग्रीन ज़ोन में प्रचालन कर सकते हैं जैसे कि जिस क्षेत्र में ऐसे ड्रोन प्रचालित किए जा रहे हैं वह क्षेत्र परीक्षण इकाई के नियंत्रण में है। येलो और रेड जोन में प्रचालन के लिए ड्रोन और पायलट का पंजीकरण, ड्रोन मॉडल, उड़ान योजना, प्रचालन का उद्देश्य आदि जैसे कई मापदंडों की जांच के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और केंद्र सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है।

गोपनीयता के मुद्दों से निपटने के संबंध में, ड्रोन नियमों के नियम 49(4) में स्पष्ट रूप प्रावधान किया गया है कि इन नियमों के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में। इस प्रावधान में संबंधित कानूनों, जिनमें सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम 2000 भी शामिल हैं जिसमें निजता के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान हैं, के दायरे में निजता के उल्लंघन सहित सभी अपराध पर्याप्त रूप से आते हैं।

(ग): मानव रहित विमान प्रणाली के लिए प्रमाणन, पंजीकरण, रिमोट पायलट लाइसेंस और बीमा प्राप्त करने के तंत्र के संबंध में जागरूकता लाने के लिए, केंद्र सरकार ने उपयोग के मामलों और नीतिगत सुधारों को उजागर करने के लिए देश भर के राज्यों में ड्रोन मेलों का आयोजन किया है।

मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में 27-29 मई 2022 के दौरान प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने 70 से अधिक ड्रोन प्रदर्शक और स्कूली बच्चों सहित 10,000 आंगतुक उपस्थित थे।

****